



न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 10/2017

बउनवान

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां
(सायल)

बनाम

श्री नजाकत आयु 44 वर्ष पुत्र लियाकत हुसैन जाति मुसलमान निवासी सीसवाली जिला बारां
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 31.05.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री नजाकत पुत्र लियाकत हुसैन जाति मुसलमान निवासी सीसवाली जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सीसवाली क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा, आम जनता के साथ मारपीट, मादक पदार्थ तस्करी एवं अवैध धारदार हथियार की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 1996 से 2017 की अवधि में जुआ सट्टा अधि० के तहत 01, आर्म्स एक्ट 04, मारपीट एवं हत्या का प्रयास 03, मादक पदार्थ तस्करी 01 एवं 02 अन्य प्रकरण दर्ज है। जिनमें से यह जुआ सट्टा अधि० के तहत 01, आर्म्स एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में तथा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 01 प्रकरण में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध धारा 41/110 जा०फो० के तहत इंसदादी कार्यावाही भी की जा चुकी है, फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है, जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	103/96	307, 323 भादस	77/30.06.96	बरी/15.05.98
2.	156/99	8/20, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट	119/31.10.99	पेंडिंग कोर्ट
3.	77/2000	13 आर०पी०जी०ओ०	52/18.04.2000	100 रु जुर्माना दि. 03.08.01
4.	153/04	448, 504, 34 भादस	124/29.09.04	100 रु जुर्माना दि. 08.07.11
5.	27/12	4/25 आर्म्स एक्ट	29/23.02.12	100 रु जुर्माना दि. 14.05.12
6.	58/13	4/25 आर्म्स एक्ट	46/17.05.13	सजा

7.	31 / 14	4 / 25 आर्म्स एक्ट	23 / 18.02.14	सजा
8.	171 / 16	4 / 25 आर्म्स एक्ट	140 / 29.11.16	पेण्डिंग कोर्ट
9.	47 / 17	147,323, 341, 149 आईपीसी	32 / 30.03.17	पेण्डिंग कोर्ट

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त 05 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 22.05.17 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी जर्ये सम्मन की गई। गैरसायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर गैरसायल को जर्ये गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया। उक्त गिरफ्तारी वारन्ट की पालना के थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली के श्री राजूराम एफ.सी. नं0 123 द्वारा गैरसायल को गिरफ्तार किया जाकर हमारे समक्ष पेश किया गया। गैरसायल को आरोप सुनाया गया। उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया जाकर, निवेदन किया गया कि बीमार हो जाने से कोटा अस्पताल में भर्ती हो जाने के कारण इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 15.04.2019 को उपस्थित नहीं हो सका। गैरसायल से इस न्यायालय में हाजरी बाबत वांछित राशि के जमानत मुचलके चाहे गये। जो प्रस्तुत करने में वह असमर्थ रहा। गैरसायल द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 1996 से 2017 की अवधि में जुआ सट्टा अधि0 के तहत 01, आर्म्स एक्ट 04, मारपीट एवं हत्या का प्रयास 03, मादक पदार्थ तस्करी 01 एवं 02 अन्य प्रकरण दर्ज है। जिनमें से यह जुआ सट्टा अधि0 के तहत 01, आर्म्स एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में तथा अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 01 प्रकरण में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यावाही भी की जा चुकी है, फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है, जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा निवेदन किया गया कि जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा गाँव यहाँ से 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मैं

गॉव मे ही मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना अन्ता किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सीसवाली में वर्ष 1996 से 2017 की अवधि में जुआ सटटा अधि० के तहत 01, आर्म्स एक्ट 04, मारपीट एवं हत्या का प्रयास 03, मादक पदार्थ तस्करी 01 एवं 02 अन्य प्रकरण दर्ज है। जिनमें से यह जुआ सटटा अधि० के तहत 01, आर्म्स एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में तथा अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 01 प्रकरण में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री नजाकत पुत्र लियाकत हुसैन जाति मुसलमान निवासी सीसवाली जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को जुआ सटटा अधि० के तहत 01, आर्म्स एक्ट के तहत 03 प्रकरणों में तथा अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 01 प्रकरण में न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री नजाकत पुत्र लियाकत हुसैन जाति मुसलमान निवासी सीसवाली जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारों जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री नजाकत पुत्र लियाकत हुसैन जाति मुसलमान निवासी सीसवाली जिला बारों को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सीसवाली से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारों को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 15.06.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारों एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारों को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारों को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीसवाली से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारों के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों